भारतीय बैंक एवं अन्य का प्रबन्धन

बनाम

जी. रामचन्द्रन एवं अन्य

2 नवम्बर, 2007

[एस.बी. सिन्हा और पी.पी. नाओलेकर, जेजे.]

सेवा कानून:

भारतीय बैंक (कर्मचारी पेंशन विनियम; 1995; विनियम 17/भारतीय बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 का प्रावधान; विनियम 37-)

स्वैच्छिक सेवा निवृति-वेतन के नुकसाान पर कर्मचारियों द्वारा ली गई छुटटी-पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए विचार आयोजित सेवा नियमों द्वारा शासित छुटटी का अनुदान, जबकि पेंशन विनियमों के नियम 21 के सन्दर्भ में, यदि चिकित्सा आधार पर छुट्टी दी जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी अवधि का अर्हक सेवा के रूप मंे गिनने की अनुमति दे सकता है-हालांकि, वर्तमान मामले में इसका कोई उपयोग नही है क्योंकि किसी कानून को समझने के उद्देश्य से, किसी अन्य कानून का संदर्भ स्वीकार्य नही है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा पेंशन के नियमो के तहत प्रावधान पर भरोसा करने में गलती की-पेंशन विनियमों के विनियमन 17 के प्रवधान के संदर्भ में, बैंक के कर्मचारी इस तरह के लाभ के हकदार है, इस तरह दी गई छुट्टी की अवधि को गिनने की अनुमति देने वाला निर्देश दिया गया है। संबंधित कर्मचारी की सेवा के अंत मंे मंजूरी प्राधिकारी द्वारा जारी की गई, अर्हक सेवा के रूप में न कि उस समय जब छुट्टी दी गई थी-चंूकि ऐसा कोई निर्देश जारी नही किया था, इसलिए पेंशन लाभ के उद््देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी देने का सवाल ही नही उठता-इसलिए, उच्च

न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बरकरार नही रखा जा सका और केद्रीय सिविल सेवा पेंश नियम-21 को रद्द नहीं किया जा सका।

अपील स्वीकार।

श्री राजू रामचन्द्रन. वीके राव. साकेत सीकरी और मधु सीकरी अपीलार्थीगण की ओर से।

श्री जुगल किशोर तिवारी एवं पीवी योगेश्वरन प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया-

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील उत्तरदाताओं द्वारा दायर सिविल रिट याचिकाओं में मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 13.09.2005 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत है।

3. इन अपीलों में शामिल संक्षिप्त प्रश्न भारतीय बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद पेंशन विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 17 की व्याख्या से संबंधित हैए जो भारतीय बैंक अधिकारियों के विनियम 37 के समान है। सेवा विनियम, 1979, (इसके बाद सेवा विनियम के रूप में संदर्भित)

4. प्रत्यर्थीगण विभिन्न तिथियों पर अपीलकर्ता. बैंक की सेवा में शामिल हुए हैं। उन्होंने निर्विवाद रूप से 10 वर्षों से अधिक समय तक बैंक की सेवा की है। जब पेंशन विनियमन तैयार किया गयाए तब उन्होंने इसका विकल्प चुना और 2001 में सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की। सेवानिवृत्ति के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

5. प्रत्यर्थीगण का यह अभ्यावेदन कि वेतन हानि पर उनके द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि सहित उनकी सेवा की पूरी अवधि को पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिएए जिसे बैंक ने अपने आदेश दिनांक 16.8.2001 और 17 ण्8.2001 द्वारा अस्वीकार कर दिया। प्रत्यर्थीगण द्वारा कई रिट आवेदन दायर किए गए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.9.2002 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता. बैंक को प्रत्यर्थीगण की व्यक्तिगत सुनवाई करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश का अनुपालन किया गया। हालाँकिए बैंक द्वारा पारित दिनांक 11.10.2002 के आदेश द्वाराए प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया।

6. प्रत्यर्थीगण 1ए 3ए 4 और 5 ने नवंबर 2002 में फिर से 11.10.2002 के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट आवेदन दायर कियाय जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने मार्च 2003 में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कीए जिसमें दिनांक 03.08.2001 के आदेश की वैधता या अन्यथा पर सवाल उठाया गया। आक्षेपित निर्णय के कारण उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर उक्त रिट आवेदनों को अनुमति दे दी। इस प्रकार अपीलार्थीगण हमारे समक्ष है।

7. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाये गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पहलेए सेवा विनियमों का अध्याय टप्प् पर ध्यान दिया गया जो विभिन्न प्रकार की छुट्टियों यथा आकस्मिक छुट्टीए विशेषाधिकार छुट्टीए बीमार छुट्टीए विशेष बीमारी छुट्टीए मातृत्व का प्रावधान करता है। छुट्टीए वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी प्रदान करता है।

8. यह तथ्य कि संबंधित प्रत्यर्थीगण ने बिना वेतन के चिकित्सा आधार पर छुट्टी प्राप्त की थी, विवादित नहीं थी।

9. असाधारण छुट्टी सेवा विनियमों के विनियम 37 के अनुसार दी जाती है जो इस प्रकार है

"एक अधिकारी सेवा की पूरी अवधि के दौरान 360 दिनों से अधिक नहीं के लिए वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी के लिए पात्र होगा। पर्याप्त कारणों के अलावा एक समय में 90 दिनों से अधिक की ऐसी छुट्टी का लाभ नहीं उठाया जा सकता हैए बशर्ते कि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बोर्ड किसी अधिकारी को कुल 720 दिनों की अवधि तक वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी दे सकता है।''

10. जहां छुट्टी का अनुदान सेवा विनियमों द्वारा शासित होता हैए पेंशन का अनुदान औरध्या उसकी मात्रा का निर्धारण पेंशन विनियमों द्वारा शासित होता है। पेंशन विनियमों का विनियम 14 निम्नलिखित शर्तों में अर्हक सेवा प्रदान करता हैर-

''इन विनियमों में निहित अन्य शर्तों के अधीनए एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख या जिस तारीख को उसे सेवानिवृत्त माना जाता हैए उस दिन बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की है उसे पेंशन मिलेगी।''

11. विनियम 17 में प्रावधान है कि बैंक में सेवा के दौरान सभी छुट्टियाँए जिनके लिए अवकाश वेतन देय हैए को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा। हालाँकिए विनियम 17 से जुड़े प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगाए सिवाय इसके कि जब मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने निर्देश दिया हो कि ऐसी छुट्टीए पूरी सेवा के दौरान बारह महीने से अधिक नहींए सभी के लिए सेवा के रूप में गिना जा सकता है। पेंशन सहित अन्य उद्देश्य। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में कहा कि असाधारण छुट्टी देते समयए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को पेंशन विनियमों के विनियमन 17 के संदर्भ में भी छुट्टी मंजूर करनी चाहिए। उक्त प्रस्ताव के लिएए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन

नियमों के नियम 21 पर भरोसा किया गया है। तथ्यों के वर्णन को पूरा करने की दृष्टि सेए

“अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि की गणना। सेवा के दौरान सभी छुट्टियाँ जिसके लिए अवकाश वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई सभी असाधारण छुट्टियाँ अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएंगी।

बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा अन्य असाधारण छुट्टी के मामले मेंए नियुक्ति प्राधिकारीए ऐसी छुट्टी मंजूर करते समयए उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिनने की अनुमति दे सकता है यदि ऐसी छुट्टी किसी सरकारी कर्मचारी को दी गई हो

(i) पद छोड़ा गया।

(ii) नागरिक हंगामे के कारण ड्यूटी में शामिल होने या दोबारा शामिल होने में असमर्थता के कारण

(iii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए।”

12. हमें सबसे पहलेए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में अपना विचार व्यक्त करना चाहिए जहां तक के विनियमन का संदर्भ दिया गया है जो यहां प्रत्यर्थीगण के मामले पर लागू नहीं है। सिविल सेवा पेंशन नियमों के विनियम 21 में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि केवल ऐसे मामले में जहाँ मेड़ीकल आधार पर अवकाश दिया गया है ऐसे अवश देने के समय नियुक्ति प्राधिकारी उस अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिन सकता है। यदि ऐसा अवकाश एक सरकारी कर्मचारी को दिया गया है। विनियम 21 जिस सीमित क्षेत्र में लागु होता है वह स्पष्ट रूप से चिकित्सा अवकाश के अनुदान पर केन्द्रीत होता है, जो यह मामला नहीं है। पेंशन विनियम जो अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित है, ऐसी किसी आकस्मिकता की परिकल्पना नहीं करता है।

किसी कानून की व्याख्या करने के उद्धेश्य से, किसी अन्य कानून का सन्दर्भ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और इस प्रकार सिविल सेवा पेंशन नियमों का विनियम 21 एक अलग स्थिति पर विचार करता है, जिसका तत्काल मामले में कोई अनुपयोग नहीं है। अतः उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान में भरोसा करने में त्रुटि की है। (पैरा 12) (972-डी, ई, एफ)

13. उच्च न्यायालय ने माना कि ''सेवा के योग्य होने या अन्यथा होने के संबंध में प्रविष्टिया घटना के साथ-साथ की जानी आवश्यक है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है।'' इस मामले में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। सेवा विनियम अवकाश स्वीकृत करने के मामले में कार्यवाही करता है। यह संभव हो सकता है कि उच्चतम प्राधिकारी ने उत्तरदाताओ के पक्ष मंे अवकाश दे दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नही होगा कि ऐसी सभी घटनाओ में, सेवा विनियमो के संदर्भ में अवकाश देने का अधिकार अर्थात विनियम 17 के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी एक ही होगा। वही किसी कानून का निर्माण संक्षिप्त और अनुमानों पर आधारित नही होना चाहिए। (पैरा 13) (972- एफ, जी; 973-ए)

14. पेंशन विनियमों के नियम 17 में संलग्न परन्तुक के सन्दर्भ में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग लगाने का प्रश्न केवल संबंधित कर्मचारी के सेवा के अन्त में उठेगा, न कि उस समय जब अवकाश दिया जाता हो। इस प्रकार सेवा विनियम और पेंशन विनियम विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होते है। स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा निर्देश जारी किये जाने की स्थिति में बैंक का एक कर्मचारी पेंशन विनियमों के विनयम 17 से जुड़े प्रावधान के लाभ का हकदार होगा। यदि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है तो पेंशन लाभ के उद्धेश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश देने का सवाल ही नहीं उठता।

15. इसलिएए हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती हैण् हालाँकिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों मेंए खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपीले स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लता गौड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।